संख्या-01/2022/3541/26-3-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी 2022

विषय:- **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-293/ज0जा0वि0/योजनाओं की मैपिंग/2021-22, दिनांक-09.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोशणा के अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2021-22 में पूर्वदषम कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से कक्षा 1-5 हेतु स्वीकृत धनराषि रू0 20.00 लाख में से विगत वर्श 2020-21 के 1548 छात्रों को लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 4,64,400/- तथा कक्षा 6-8 हेतु स्वीकृत धनराषि रू0 10.00 लाख में से विगत वर्श 2020-21 के कक्षा 6 से 8 के 816 छात्रों को लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 3,91,680/- कुल रू0 8,56,080/- (रू0 आठ लाख छप्पन हजार अस्सी मात्र) की धनराषि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रषासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है मा0 मुख्यमंत्री घोशणा के अन्तर्गत पूर्वदषम कक्षा 1 से 5 के गत वर्ष 2020-21 के 1548 छात्रों हेतु रू0-4,64,400/- तथा कक्षा 6 से 8 तक के गत वर्ष 2020-21 के 816 छात्रों हेतु रू0-3,91,680/- अर्थात कुल धनराशि रू0-रू0 8,56,080/- (रू0 आठ लाख छप्पन हजार अस्सी मात्र) व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-128/2020-21/2496/26-3-2021 दिनॉक 03-11-2021 द्वारा निर्गत धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ.संख्या-01 /2022/3541 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।